

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ1()स्था/निकाशि/98/ 666

दिनांक:- 10-10-22

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय,
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट/राजस्थान संगीत संस्थान,
राजस्थान।

विषय:- विदेश यात्रा के संबंध में।

महोदय,

सामान्यता: यह देखा गया है कि प्राचार्यों/उपाचार्यों/सह/सहायक
आचार्यों/व्याख्याताओं द्वारा विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व
ही विदेश यात्रा पर चले जाते हैं जो कि नियम विरुद्ध है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि विभागाध्यक्ष से बिना पूर्व स्वीकृति के
विदेश यात्रा करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


(डॉ. आर. सी. मीना)

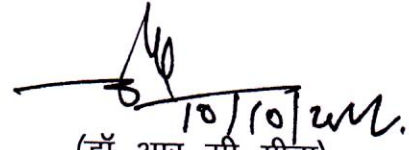
संयुक्त निदेशक, (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ1()स्था/निकाशि/98/ 666

दिनांक:- 10-10-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक, (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।